51

माननीय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, मध्यप्रदेश

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

दिलोपित / विलोपित

Rs. 20/-

R 5079 - III / 16

मृतक द्वारा वारिसान :—

~~बृजकिशोर सिंह पिता संकठा प्रसाद सिंह उम्र 75 वर्ष~~ मृतक पेशा खेती निवासी ग्राम इटमा तहसील जवा, जिला – रीवा (म.प्र.) . — **आवेदक / प्रार्थी**

बनाम्

मृतक द्वारा वारिसान :—

1– ~~शारदा प्रसाद सिंह पिता बिहारीलाल सिंह उम्र 72 वर्ष पेशा खेती~~ मृतक

2– श्रीमती शशिप्रभा सिंह पत्नी श्याम किशोर सिंह उम्र 65 वर्ष पेशा गृहकार्य

3– गुलजार सिंह पिता रामप्रताप सिंह उम्र 50 वर्ष पेशा खेती

4– श्रीमती सुधा सिंह पत्नी गजराज सिंह उम्र 35 वर्ष पेशा गृहकार्य

चारों निवासी ग्राम टूटमा तहसील जवा, जिला – रीवा (म.प्र.)

5– राजकिशोर सिंह पिता साधू सिंह उम्र 85 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम भडरा तहसील, जवा, जिला रीवा म.प्र.

— **अनावेदकगण / प्रतिप्रार्थी**

श्री ... द्वारा आज दिनांक 15-2-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार सर्किल अतरैला, तहसील जवा जिला रीवा राजस्व प्र.क. 2/अ–3/2014–15 आदेश दिनांक 02.02.2016 बृजकिशोर सिंह बनाम शारदा प्रसाद सिंह व अन्य साकिन इटमा तहसील जवा, जिला रीवा

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूरा.संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के आधार निम्नांकित हैः–

1. यहकि तहसीलदार सर्किल अंतरैला तहसील जवा जिला रीवा का आदेश अवैधानिक और अनियमित होने से हस्ताक्षेप योग्य है।
2. यहकि आवेदक ने ग्राम भंडरा सर्किल ...

R 5079

आदेशानुसार वारिसानों का प्रतिस्थापित dr 15/4/18

1(अ) - रमरतिया पत्नी ब्रजकिशो किशोर सिंह उम्र 70 वर्ष
1(ब) - नवरत्न सिंह पिता ब्रजकिशोर सिंह उम्र 52 वर्ष
1(स) - गजराज सिंह पिता ब्रजकिशोर सिंह उम्र 40 वर्ष
1(द) - रविराज सिंह पिता ब्रजकिशोर सिंह उम्र 36 वर्ष

} सभी निवास ग्राम इटमा तहसील जवा जिला रीवा (म०प्र०).

1(य) - श्रीमती शकुन्तला पुत्री ब्रजकिशोर सिंह एवं पत्नी समयलाल सिंह उम्र 50 वर्ष साकिन शंकरगढ़ तहसील बारा जिला इलाहाबाद (उ०प्र०)
1(र) - श्रीमती शशिकला पुत्री ब्रजकिशोर सिंह एवं पत्नी योगेन्द्र सिंह उम्र 32 वर्ष ग्राम भनिका तहसील त्योंथर जिला रीवा (म०प्र०)

— विरुद्ध —

श्री ... द्वारा आज दिनांक प्रस्तुत किया गया।

आदेशानुसार वारिसानों का प्रतिस्थापित किया dr 15/4/18

1(अ) - समरबहादुर सिंह उम्र 52 वर्ष
1(ब) - अरविन्द सिंह उम्र 45 वर्ष
1(स) - मान सिंह उम्र 42 वर्ष
1(द) - अरुण सिंह उम्र 40 वर्ष
1(य) - विनायक सिंह उम्र 36 वर्ष
1(र) - मनीष सिंह उम्र 34 वर्ष

} सभी के पिता शारदा प्रसाद सिंह ग्राम - इटमा तहसील - जवा जिला रीवा (म०प्र०)

1(ल) श्रीमती उर्मिला पुत्री शारदा प्रसाद सिंह ग्राम ~~[illegible]~~ गाथिसरा तहसील बारा जिला इलाहाबाद उ०प्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5079–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
02-08-18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त अतरैला तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2 अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–2–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा में प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार, वृत्त अतरैला तहसील जवा जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2 अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 2–2–2016 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है क्योंकि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 7० के नक्शा तरमीम कार्यवाही पर पारित किया है, जिसके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को प्रस्तुत होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केषरवाई विरुद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सबसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।**	

आवेदकगण के अभिभांषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदक को इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधि के प्रावधानों के अनुसरण में अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सीधे सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य